पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

अरुण कुमार

बनाम

सुष्मिता कुमारी

2017 का विविध अपील संख्या 853

02 सितंबर 2025

(माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय न्यायमूर्ति एस. बी. पी. डी. सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या अपीलकर्ता-पति द्वारा विवाह विच्छेद हेतु दायर वैवाहिक वाद को उचित रूप से खारिज कर दिया गया है?

हेडनोट्स

हिंदू विवाह अधिनियम - तलाक की डिक्री हेतु वैवाहिक वाद - तलाक की कार्यवाही से प्रतिवादी की अनुपस्थिति के निहितार्थ - उस निर्णय और डिक्री के विरुद्ध अपील जिसके तहत अपीलकर्ता-पति द्वारा विवाह विच्छेद हेतु दायर याचिका खारिज कर दी गई है।

निर्णय: यद्यपि अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए आधारों का परीक्षण और प्रमाण आवश्यक है, लेकिन प्रतिवादी-पत्नी की अनुपस्थिति में, ऐसे तर्कों का खंडन करने का कोई तरीका नहीं है - पारिवारिक न्यायालय और इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही से प्रतिवादी की निरंतर अनुपस्थिति पर अपना मत प्रस्तुत करते हुए, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि पति और पत्नी का संबंध अस्तित्वहीन है - प्रतिवादी की ओर से वैवाहिक अधिकार की पुनर्स्थापना या वैवाहिक बकाया राशि के भुगतान की मांग करने का भी कोई प्रयास नहीं किया गया है, जो कि प्रतिवादी-पत्नी के कहने पर संबंध के पूर्ण परित्याग का प्रमाण है - इस

मुकदमे को अंतहीन रूप से जारी रखने की अनुमति देने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा - अपीलकर्ता और प्रतिवादी ने तलाकशुदा होने की घोषणा की - अपील स्वीकार की गई। (अनुच्छेद - 9-12)

न्याय दृष्टान्त

XXX

अधिनियमों की सूची

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984; हिंदू विवाह अधिनियम, 1955

मुख्य शब्दों की सूची

वैवाहिक वाद; तलाक का आदेश; दाम्पत्य अधिकार की पुनर्स्थापना; वैवाहिक बकाया राशि का भुगतान; परित्याग; क्रूरता; व्यभिचार; तलाक की कार्यवाही से पत्नी की अनुपस्थिति; रिश्ते का परित्याग।

प्रकरण से उत्पन्न

पारिवारिक न्यायालय, बेगूसराय के विद्वान प्रधान न्यायाधीश द्वारा तलाक वाद संख्या 106/2015 में दिनांक 12.07.2017 को पारित निर्णय और डिक्री, जिसके द्वारा अपीलकर्ता-पति द्वारा विवाह विच्छेद हेतु दायर याचिका खारिज कर दी गई है।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं की ओर से: श्री कुमार रवीश, अधिवक्ता
प्रतिवादी/ओं की ओर से: कोई नहीं

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट तैयार किया गया: घनश्याम, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 का विविध अपील संख्या- 853

==========

अरुण कुमार, पिता- रमाकांत ठाकुर, निवासी ग्राम- चकिया, थाना- बरौनी, जिला- बेगुसराय, बिहार।

..... अपीलकर्ता

बनाम

सुष्मिता कुमारी, पति - श्री अरुण कुमार, पिता - श्री रामानंद ठाकुर, निवासी, ग्राम- हल मोकम-मियांचक, चट्टीरोड, थाना,-नगर, जिला-बेगुसराय ।

..... प्रतिवादी

==========

उपस्थिति :-

अपीलार्थी हेतु : श्री कुमार रवीश,

प्रतिवादी हेतु : कोई नही

==========

कोरमः माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश

और

माननीय न्यायाधीश श्री एस. बी. पी. डी. सिंह

सीएवी निर्णय

(द्वाराः माननीय न्यायाधीश श्री एस. बी. पी. डी. सिंह)

तिथि -02-09-2025

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री कुमार रवीश को सुना। विधिक सुचना जारी किये जाने के बावजूद, प्रतिवादी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होता है।

2. वर्तमान अपील हिंदू विवाह अधिनियम, 1984 की धारा 19 (1) के तहत दायर की गई है, जिसमें परिवार न्यायालय, बेगुसराय के विद्वान

प्रधान न्यायाधीश द्वारा तलाक वाद संख्या 106/2015 में दिनांक 12.07.2017 को पारित निर्णय और डिक्री को चुनौती दी गई है, जिसके तहत अपीलकर्ता-पति द्वारा विवाह विच्छेद हेतु दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है।

3. अपीलार्थी-पति दुखी है क्योकि उसकी पत्नी (प्रतिवादी) न तो उसके साथ न तो वैवाहिक सम्बंधो को कायम रखने को तैयार है ना ही वह विवाह-विच्छेद हेतु तैयार है।

4. त्याग, क्रूरता और व्यभिचार के आधार पर विवाह-विच्छेद की डिक्री पारित करने हेतु अपीलार्थी की प्रार्थना को अस्वीकार करते हुए विवादित निर्णय पारित किया गया है, भले ही प्रतिवादी-पत्नी कभी भी वाद में प्रस्तुत नहीं हुई। इस न्यायालय के समक्ष भी प्रतिवादी-पत्नी की ओर से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। प्रतिवादी-पत्नी की ओर से दस्ती नोटिस को उसकी ननद पुजा कुमारी ने स्वीकार कर लिया था, परंतु उनकी ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। अंततः, दिनांक 17.03.2025 के आदेश के माध्यम से, अपीलार्थी को प्रतिवादी को नई नोटिस की सुचना समाचार पत्र प्रकाशन के माध्यम से नए कदम उठाने का निर्देश दिया गया था और दिनांक 22.07.2025 के आदेश के द्वारा , एकमात्र समाचार पत्र प्रकाशन के माध्यम से प्रतिवादी को जारी किए गए नोटिसों को पर्याप्त माना गया था। फिर भी प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

5. अपीलार्थी प्रस्तुत करता है कि प्रतिवादी के साथ उसका विवाह हिंदू संस्कारों और रीति-रिवाजों के अनुसार 19.12.2001 को हुआ था। अपीलार्थी द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि विवाह के लगभग दो वर्षों के बाद, प्रतिवादी घमण्डी व्यवहार का हो गया और उसने अपीलार्थी के माता-पिता

और भाइयों के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। इस बीच, विवाह से दो बेटियाँ पैदा हुईं, एक वर्ष 2003 में और दूसरी वर्ष 2005 में, लेकिन बच्चों के जन्म के बावजूद, प्रतिवादी ने अपना उदासीन और अहंकारी आचरण जारी रखा। वह अक्सर अपीलार्थी के माता-पिता या अन्य ससुराल वालों द्वारा उठाए गए तुच्छ मुद्दों पर हिंसक स्वभाव प्रदर्शित करती थी। यह आगे कहा गया है कि 01.01.2006 को, प्रतिवादी ने सुबह बाहर जाने को तैयार हुई और जब उसके जगह के बारे में पूछा गया, तो उसने अपीलार्थी के साथ झगड़ा किया और आत्महत्या करने की धमकी दी, हालांकि बहुत अनुनय के बाद उसे शांत कर दिया गया। उसी रात, अपीलार्थी को कथित तौर पर प्रतिवादी की लिखावट में एक नोट मिला जिसमें उसने अपने अहंकारी व्यवहार, संदिग्ध चरित्र और व्यभिचारी आचरण को स्वीकार किया। अपीलार्थी आगे तर्क देता है कि प्रतिवादी के माता-पिता और भाई इस तरह के व्यवहार में उसका समर्थन करते थे और समय-समय पर अपीलार्थी को धमकी भी देते थे। अपीलार्थी का कहना है कि विवाहोपरांत वर्ष 2007 में, एक नर शिशु, जिसका नाम आर्यन है, पैदा हुआ था। हालाँकि, 15.12.2011 को प्रतिवादी ने वैवाहिक घर छोड़ दिया और अपीलार्थी को सूचित किए बिना या अनुमति लिए बिना, उसके कपड़ों, आभूषणों और बच्चों के साथ, अपने माता-पिता के घर(नैहर) चली गई। अपीलार्थी ने उसे वापस लाने के लिए बार-बार प्रयास किए परंतु, उसने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया और अपीलार्थी से विवाह-विच्छेद की इच्छा व्यक्त की। 04.01.2015 को, जब अपीलकर्ता उसे अपने वैवाहिक घर लौटने के लिए मनाने के लिए फिर से उसके माता-पिता के घर गया, तो प्रतिवादी और अन्य ससुराल वालों ने कथित रूप से उसके साथ दुर्व्यवहार किया और तब वह 13.02.2015 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज करने के

लिए मजबूर हो गया। अपीलार्थी का यह निरंतर रुख है कि प्रतिवादी का व्यवहार उसके और उसके परिवार के सदस्यों के प्रति क्रूर और अप्रिय रहा है, और यह कि उसने अंततः बिना किसी उचित कारण के अपीलार्थी को छोड़ दिया है और अपने वैवाहिक घर नहीं लौटने के इरादे से अपने माता-पिता के घर में बस गई है। इन तथ्यों के बावजूद, विद्वान परिवार न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध अभिवचनों और सामग्रियों की ठीक से विवेचना किए बिना, और वह भी अपीलार्थी को लागत से परेशान किए बिना, अपीलार्थी के वाद को सरसरी तरीके से खारिज कर दिया।

6. स्वयं अपीलार्थी सहित दो गवाहों को विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करके अविश्वास किया कि अपीलार्थी ने जानबूझकर अपनी पत्नी (प्रतिवादी) को छोड़ दिया है और उसके विरुद्ध व्यभिचार का जो आरोप लगाया गया है, वह गलत है, और अपीलार्थी के द्वारा क्रूरता के समान है।

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री कुमार रवीश प्रस्तुत करते हैं कि विचारण न्यायालय ने वाद को खारिज करने में गंभीर त्रुटियां की है, और इस तरह की बर्खास्तगी कानून की नजर में अवैध और अस्थिर है। यह आग्रह किया जाता है कि यह स्थापित करने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री थी कि प्रतिवादी ने अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों के साथ विवाह के बाद क्रूरता की है। इसके अलावा, यह तर्क दिया जाता है कि प्रतिवादी अपने सामान, आभूषण और बच्चों के साथ वैवाहिक घर से निकल गई और अपीलार्थी के बार-बार अनुरोध के बावजूद, वह तब से नहीं लौटी है। यह आगे तर्क दिया जाता है कि बार-बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद, प्रतिवादी-पत्नी न तो परिवार न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई और न ही

उसने इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का विकल्प चुना, जो स्वयं उसकी ओर से सम्बंध समाप्ति को स्थापित करने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से अपीलार्थी द्वारा लगाए गए आरोपों को लड़ने या उनका खंडन करने में उसकी रुचि की कमी को दर्शाता है।

8. विवाह-विच्छेद याचिका के समर्थन में, स्वयं अपीलार्थी सहित दो गवाह और उसके पिता से पूछताछ की गई, जिन्होंने मामले का पूरा समर्थन किया है। ऊपर वर्णित परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि प्रतिवादी-पत्नी को अपीलार्थी के साथ वैवाहिक जीवन कायम रखने में दिलचस्पी नहीं है अन्यथा वह वाद लड़ती। प्राथमिक साक्ष्यो के साक्ष्य को अस्वीकार करने और त्यागने हेतु अभिलेख पर कुछ भी नहीं है क्योंकि प्रतिवादी-पत्नी की अनुपस्थिति के कारण उनकी प्रतिपरीक्षा नहीं की गई है। इस प्रकार, प्राथमिक साक्ष्यो के साक्ष्य बरकरार हैं।

9. विचारन न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद न्यायालय में प्रतिवादी-पत्नी की अनुपस्थिति का विश्लेषण करने उपरांत, अंत में हम इस अपील का निपटारा करना उचित समझते हैं।

10. हालाँकि अपीलार्थी द्वारा उठाए गए आधारों का परीक्षण और साबित किया जाना आवश्यक है, लेकिन प्रतिवादी-पत्नी की अनुपस्थिति में, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसमें इस तरह की दलीलों का खंडन किया जा सके। तथापि, परिवार न्यायालय और इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही से प्रत्यर्थी की निरंतर अनुपस्थिति पर अपनी राय देते हुए, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पति और पत्नी का संबंध अस्तित्व में नहीं है, इसके अलावा

प्रतिवादी, पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बावजूद, इन कई वर्षों तक चुप रही। उनके संस्करणों को विषय वस्तु में रखें।

11. प्रतिवादी की ओर से वैवाहिक अधिकार की बहाली या वैवाहिक देय राशि के भुगतान के लिए कहने का भी कोई प्रयास नहीं किया जाता है। यह फिर से प्रतिवादी- पत्नी की इच्छा पर संबंध के पूर्ण परित्याग का प्रमाण है।

12. वर्तमान अपील में उल्लिखित परिस्थितियों के संबंध में, हम पाते हैं कि इस वाद को अंतहीन रूप से जारी रखने की अनुमति देने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

13. जिन कारणों का ऊपर उल्लेख किया गया है, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बेगुसराय द्वारा विवाह-विच्छेद वाद संख्या 106/2015 में दिनांक 12.07.2017 को पारित निर्णय और डिक्री, जिसे परिवार न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है, को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है।

14. अपीलार्थी और प्रतिवादी को 19.12.2001 को उनके विवाह-विच्छेद की डिक्री देने के बाद विवाह सम्बंध समाप्त घोषित किया जाता है।

15. यह घोषणा पति-पत्नी के बीच संबंधों की समाप्ति को दर्शाने वाली एक डिक्री होगी।

16. निबंधक को तदनुसार विवाह-विच्छेद की डिक्री तैयार करने का निर्देश दिया जाता है।

17. विविध अपील वाद संख्या 853/2017 की अनुमति दी जाती है।

(एस. बी. पी. डी सिंह, न्यायमूर्ति)

(पी. बी. भजंत्री, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति)

शगीर/नीरज

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।